

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2037

दिनांक 17.12.2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

**आई पी एस एवं सीएपीएफ अधिकारियों को प्रशिक्षण**

†2037. श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) अफसरों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया है तथा उनके प्रशिक्षण पर राज्य एवं बल-वार कुल कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ख) प्रशिक्षण के लिए चुने गए अफसरों के चयन के मानदंड क्या हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह)

(क) : 'पुलिस' राज्य का विषय है । राज्य पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार और आयोजित किया जाता है । भारत सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है । गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 1170 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा चुका है । इन 1170 अधिकारियों से संबंधित ब्यौरे अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं ।

अधिकारियों की पात्रता के अनुसार संबंधित संगठन/राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाता है ।

(ख) : अधिकारियों का चयन मेजबान एजेंसियों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं, मानदंड और पैरामीटरों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ)/पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा किया जाता है । गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे मनोनीत अधिकारियों की चयन सूची बनाई जाती है ।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-1 के पृष्ठ 2 का 1

लोक सभा अता० प्र० सं० 2037

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए पुलिस कर्मियों (आई.पी.एस. अधिकारियों सहित) की राज्य और बल-वार संख्या (वर्ष 2013 में एमसीटीपी पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था)

| राज्य           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (चालू वर्ष) |
|-----------------|------|------|------|------------------|
| आन्ध्र प्रदेश   | 12   | 14   | 38   | 1                |
| अरुणाचल प्रदेश  | 4    | 4    | 6    | 1                |
| असम             | 6    | 6    | 21   | 1                |
| बिहार           | 8    | 5    | 15   | -                |
| छत्तीसगढ़       | 5    | 3    | 3    | 1                |
| गोवा            | -    | 4    | 1    |                  |
| गुजरात          | 14   | 11   | 18   |                  |
| हरियाणा         | 13   | 10   | 16   |                  |
| हिमाचल प्रदेश   | 5    | 5    | 8    |                  |
| जम्मू और कश्मीर | 4    | 10   | 17   |                  |
| झारखंड          | 7    | 8    | 5    | 2                |
| कर्नाटक         | 17   | 7    | 25   | 3                |
| केरल            | 11   | 6    | 15   | 2                |
| मध्य प्रदेश     | 28   | 22   | 31   | 4                |
| महाराष्ट्र      | 25   | 13   | 24   | 1                |
| मणिपुर          | 3    | 4    | 12   | -                |
| मेघालय          | 8    | 3    | -    | 1                |
| मिजोरम          | 1    | 3    | 2    |                  |
| नागालैंड        | 2    | 2    | 4    |                  |
| ओडिशा           | 10   | 6    | 8    |                  |
| पंजाब           | 4    | 7    | 13   | 1                |
| राजस्थान        | 15   | 8    | 22   | 1                |
| सिक्किम         | -    | 3    | 2    |                  |
| तमिलनाडु        | 23   | 13   | 28   | 1                |
| त्रिपुरा        | 3    | 1    | -    |                  |
| उत्तर प्रदेश    | 19   | 15   | 31   |                  |
| उत्तराखंड       | 2    | 5    | 6    |                  |
| पश्चिम बंगाल    | 28   | 2    | 16   | 1                |
| अंडमान          | 2    |      | 2    |                  |
| चंडीगढ़         | -    | 1    | 1    |                  |
| दादरा           | -    |      | 1    |                  |
| दमण             | -    | 1    | -    |                  |
| लक्षद्वीप       | 1    | 1    | 1    |                  |
| पुदुचेरी        | 1    |      | 1    |                  |
| दिल्ली          | 3    | 9    | 10   | 1                |
| सीआईएसएफ        | 3    | 7    | -    | 3                |
| आईटीबीपी        | 2    | 6    | 3    | 5                |
| सीआरपीएफ        | 3    | 5    | 3    | 6                |
| संसद            |      |      | -    | 2                |
| बीपीआरएंडडी     | 2    | 4    | 1    | 3                |

अनुलग्नक-। के पृष्ठ 2 का 2  
लोक सभा अता० प्र० सं० 2037

|                             |     |     |     |    |
|-----------------------------|-----|-----|-----|----|
| एमएचए                       | 14  | 23  | -   | 5  |
| बीएसएफ                      | 3   | 6   | 2   | 7  |
| एसएसबी                      | 1   | 4   | 1   | 3  |
| एनएसजी                      | -   | 5   | 4   | 11 |
| असम राइफल्स                 | -   | 1   | -   | 3  |
| सीबीआई                      | 10  | 11  | 1   | 1  |
| आईबी                        |     |     | -   | -  |
| एनआईए                       |     | 7   | 4   | 4  |
| एसवीपी एनपीए                | 4   | 4   | -   | 4  |
| एनआईसीएफएस                  |     | 1   | 4   | 1  |
| एसपीजी                      | 1   | 2   | -   | 2  |
| आरपीएफ                      | 9   |     | 1   | 1  |
| एनसीआरबी                    |     | 3   | -   |    |
| मंत्रिमंडल सचिवालय          | 5   |     | 2   |    |
| केन्द्रीय सरकार/संगठन       | 6   | 5   | 5   |    |
| कुल                         | 347 | 306 | 434 | 83 |
| Total= 347+306+434+83= 1170 |     |     |     |    |